उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-191/2020/2266/41-2020-08(यो0)/2016

लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2020

संख्या- 165/2020/1147/41-2020-08(यो0)/2016 दिनांक 07 अगस्त, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के ग्राम जीवपुर रघुनाथपुर में गंगा नदी के दायें तट पर गंगा आश्रम के निकट घाट के निर्माण एवं पर्यटन विकास के कार्य हेतु अवशेष स्वीकृति हेतु निर्गत **शासनादेश संख्या-165/2020/1147/41-2020-08(यो0)/2016 दिनांक 07 अगस्त, 2020** के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-1810/6-1-1(713) /2015-16 दिनांक 18-8-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी** अंकित होना चाहिए था।

2. अतः **शासनादेश संख्या-165/2020/1147/41-2020-08(यो0)/2016 दिनांक 07 अगस्त, 2020** के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर एतद्द्वारा **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **07 अगस्त, 2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-191/2020/2266/41-2020-08(यो0)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता,सिचाई एवं जल संसाधन विभाग , लखनऊ।
8- अधीक्षण अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक सिंचाई निर्माण मण्डल वाराणसी।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
11- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।